

न्यायालय:श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.कं.-778/2006  
 संस्थित दिनांक-30.11.2006  
 फाईलिंग क.234503000262006

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैहर,  
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

मानसिंह उर्फ पनकू पिता रतनसिंह, उम्र-32 वर्ष,  
 निवासी-ग्राम बंजरटोला खापा, थाना-बैहर, जिला-बालाघाट(म.प्र.)

— — — — — आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक-03/09/2016 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-01.10.2006 को करीब 1:30 बजे, खापा वृत्त कक्ष क्रमांक-32 प.स. आवास में लगे वायरलेस स्टेशन आरक्षी केन्द्र बैहर के अंतर्गत वन परिक्षेत्र सहायक मुक्की के कब्जे से वायरलेस स्टेशन की एक सोलर प्लेट कीमती करीबन 5,000/- रुपये उसकी सहमति के बिना बेईमानी से लेने के आशय से हटाकर चोरी की।

2— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ईश्वरदयाल कटरे ने दिनांक-10.10.2006 को पुलिस थाना बैहर आकर यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह वन परिक्षेत्र मुक्की में सहायक परिक्षेत्र अधिकारी के पद पर कार्यरत है। उसने लगभग 1:30 बजे दिन में मुक्की परिक्षेत्र खापा वृत्त बने आवास में लगे वायरलेस स्टेशन की सोलर प्लेट को देखा तो सोलर प्लेट चोरी हो गई थी। इस संबंध में उसे वायरलेस अटेंडेंट देवीलाल ने सूचना दी थी। सोलर प्लेट की तलाशी किये जाने पर उन्हें यह जानकारी हुई कि दिनांक-01.10.2006 को ग्राम खापा निवासी मानसिंह नाका और वायरलेस स्टेशन के आसपास घूम रहा था और शंका है कि उसी के द्वारा चोरी की गई है। उपरोक्त आधार पर पुलिस थाना बैहर में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-114/06, धारा-379 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान उक्त घटना स्थल का मौकानक्शा तैयार कर, आरोपी के मेमोरेण्डम के आधार पर आरोपी से चोरी गया सामान जप्त किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-379 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी का अभियुक्त परीक्षण धारा-313 द.प्र.सं. के तहत किए जाने पर

उसने अपने कथन में स्वयं को निर्दोष व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है तथा बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-01.10.2006 को करीब 1:30 बजे, खापा वृत्त कक्ष क्रमांक-32 प.स. आवास में लगे वायरलेस स्टेशन आरक्षी केन्द्र बैहर के अंतर्गत वन परिक्षेत्र सहायक मुक्की के कब्जे से वायरलेस स्टेशन की एक सोलर प्लेट कीमती करीबन 5,000/- रुपये उसकी सहमति के बिना बेईमानी से लेने के आशय से हटाकर चोरी की ?

**विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष:-**

5- अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी ईश्वरदयाल कटरे (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि घटना के समय वह वन परिक्षेत्र अधिकारी के पद पर खापा में पदस्थ था। दिनांक-01.10.2006 को 15:30 बजे उसने देखा कि मुक्की परिक्षेत्र खापा के कक्ष क्रमांक-32 में बने आवास में लगे वायरलेस स्टेशन की प्लेटें जो उर्जा प्राप्त करने हेतु लगाई गई थी, वह चोरी हो गई थी, इस संबंध में देवी ठाकरे वायरलेस अटेंडेन्ट ने उसे सूचना दी थी। प्लेटों की कीमत लगभग 5,000/-रुपये थी। इस संबंध में उसने पुलिस थाने में प्रदर्श पी-1 का आवेदन दिया था, जिस पर उसने हस्ताक्षर किये थे। आवेदन के आधार पर दिनांक-10.10.2006 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जो प्रदर्श पी-2 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसे प्लेट चोरी होने की सूचना दिनांक-10.10.2006 को प्राप्त हो गई थी, परंतु उसने यह सूचना थाने में प्रेषित नहीं की। साक्षी ने यह कहा है कि उसने दिनांक-10.10.2006 को थाने में सूचना दी थी। विलंब से थाने में सूचना क्यों दी गई, इसका कोई स्पष्ट कारण साक्षी ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में नहीं बताया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि सौर उर्जा प्लेट बाहर खुली जगह में लगी हुई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि सौर उर्जा प्लेट के स्वत्व के संबंध में कोई रसीद इत्यादि प्रकरण में संलग्न नहीं की गई है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उसने घटना की सूचना अपने उच्चाधिकारियों को दी थी, पुलिस को नहीं दी थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि पुलिस ने उसके कथन लेख नहीं किये थे।

6- दिलीप सिंह ठाकुर (अ.सा.2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना उसके बयान देने के 5-6 वर्ष पूर्व ग्राम खापा की है। वह मुक्की में था, तभी उसे देवीलाल ठाकरे से सूचना प्राप्त हुई कि सौर उर्जा प्लेट चोरी हो गई है। उसने रेंजर को सूचना दी थी, जिसने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए कहा था। उसे देवीलाल ठाकरे ने बताया था कि आरोपी सौर उर्जा प्लेट चोरी करके ले गया। आरोपी को ढूंढा गया, परंतु आरोपी के नहीं मिलने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज

कराई गई। उसके सामने पुलिस ने आरोपी का मेमोरेण्डम कथन लेख नहीं किया था। मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-3 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी, जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-4 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार किया था, गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-5 पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके सामने आरोपी ने बताया था कि उसने सोलर प्लेट चोरी कर अपने घर के पीछे बाड़ी में छुपाकर रखा है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसके सामने आरोपी से सोलर प्लेट जप्त की गई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि घटना दिनांक को वह मुक्की में था। साक्षी ने कहा है कि चोरी गई सोलर प्लेट कब और कहां से प्राप्त हुई थी, वह नहीं बता सकता। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने आरोपी मानसिंह को थाने पर देखा था और थाने पर ही पुलिस वालों ने उसे प्लेटें दिखाई थी। उसने प्रदर्श पी-3 के मेमोरेण्डम कथन पर थाने पर हस्ताक्षर किये थे और उसने प्रदर्श पी-3 दस्तावेज पढ़कर नहीं देखा था। साक्षी ने यह भी कहा है कि प्रदर्श पी-4 जप्तीपत्रक में क्या लिखा था, वह उसने नहीं देखा। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके सामने जप्ती एवं मेमोरेण्डम की कार्यवाही नहीं हुई थी, पुलिस ने सोलर प्लेट किससे जप्त की थी, इसकी उसे जानकारी नहीं है।

7— अभियोजन की ओर से परिक्षीत साक्षी आर.बी. इंगले (अ.सा.3) ने अपने कथन में कहा है कि दिनांक-29.11.06 को थाना बैहर में वह प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था और उक्त दिनांक को थाने के अपराध क्रमांक-114/06, अंतर्गत धारा-379 भा. द.वि. में अभियोगपत्र तत्कालीन थाना प्रभारी नवीन जैन द्वारा क्रमांक-108/06 पर तैयार किया गया था, जिस पर अनुसंधानकर्ता की जगह उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उसके द्वारा प्रकरण में विवेचना नहीं की गई है।

8— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी देवीलाल ठाकरे (अ.सा.4) ने कहा है कि वह आरोपी को जानता है। घटना सितम्बर 2006 की है। वन विभाग के खापा क्षेत्र से सोलर उर्जा की एक प्लेट चोरी हो गई थी, जिससे वायरलेस सेट की बैटरी चार्ज होती थी, यह प्लेट आरोपी ने चोरी की थी। पुलिस ने उसके सामने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया था। गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-5 के ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके सामने आरोपी से पूछताछ की थी, तब आरोपी ने बताया था कि उसने प्लेट चोरी की है और किसी दूसरे को बेच दी है। पुलिस ने उस व्यक्ति से प्लेट जप्त की थी, जिसे आरोपी ने प्लेट बेची थी। पुलिस ने मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-3 बनाया था, जिसके ब से ब भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उसके सामने पुलिस ने आरोपी से प्लेट जप्त नहीं की थी, जप्तीपञ्चनामा प्रदर्श पी-4 के ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। न्यायालय द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि आरोपी ने मेमोरेण्डम कथन में

ऐसा बताया था कि उसने प्लेट अपने घर के पीछे बाड़ी में छुपाकर रखी है। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि आरोपी के बताए अनुसार आरोपी के घर के पीछे बाड़ी से चोरी गई प्लेट पुलिस द्वारा जप्त की गई थी। साक्षी ने पुलिस कथन प्रदर्श पी-6 पुलिस को नहीं लेख कराना व्यक्त किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने आरोपी को मौके से प्लेट चोरी करते हुए स्वयं नहीं देखा था।

9— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-379 का अपराध किये जाने का अभियोग है। सर्वप्रथम आरोपी के मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-3 पर यदि विचार किया जावे तो आरोपी ने अपने मेमोरेण्डम कथन में यह बात लेख कराई थी कि उसने चोरी गई सोलर प्लेट अपने घर के पीछे बाड़ी में छुपाकर रखी है। मेमोरेण्डम कथन स्वतंत्र साक्षी दिलीप सिंह ठाकुर तथा देवीलाल ठाकरे के समक्ष लेख किया जाना अभियोजन द्वारा प्रकट किया गया है। दिलीप सिंह ठाकुर ने मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-3 की संपूर्ण कार्यवाही उसके सामने किये जाने से इंकार किया है, जबकि देवीलाल ठाकरे का कहना है कि आरोपी ने ऐसा बताया था कि उसने प्लेटें किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी है और पुलिस ने चोरी गई प्लेटें किसी अन्य व्यक्ति से जप्त की थी। साक्षी ईश्वरदयाल कटरे ने चोरी के विषय में आवेदनपत्र प्रदर्श पी-1 प्रस्तुत किया था, उसका कहना है कि चोरी की घटना दिनांक-01.10.2006 को हुई थी, जबकि थाने पर इसकी रिपोर्ट ही 10 दिन पश्चात् दिनांक-10.10.2006 को लेख कराई गई थी। यह विलंब का कारण साक्षी ने अपनी साक्ष्य में प्रकट नहीं किया है। आरोपी के आधिपत्य से चोरी गई प्लेटें जप्त हुई थी यह बात भी अभियोजन साक्षी की साक्ष्य से प्रमाणित नहीं हो रही है, क्योंकि अभियोजन साक्षी दिलीप सिंह ठाकुर ने इस बात से इंकार किया है कि जप्ती की कार्यवाही प्रदर्श पी-4 थाने पर हुई थी और उसने थाने पर ही चोरी गई प्लेटों के संबंध में जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-4 पर थाने पर ही हस्ताक्षर किये थे। साक्षी दिलीप सिंह ठाकुर अ.सा.4 ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी से चोरी गई प्लेटें जप्त की गई थी, उसका कहना है कि किसी अन्य व्यक्ति से चोरी गई प्लेटें जप्ती की गई थी। उपरोक्तानुसार अभियोजन साक्षी के न्यायालयीन परीक्षण में महत्वपूर्ण विरोधाभास है और अभियोजन पक्ष द्वारा यह संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया जा सका है आरोपी द्वारा मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-3 लेख कराया गया था, जिसके पश्चात् उसके बताए अनुसार चोरी गई प्लेटें प्रदर्श पी-4 की कार्यवाही अनुसार पुलिस द्वारा जप्त की गई थी, किसी भी अभियोजन साक्षी ने यह नहीं कहा है कि उसने ही आरोपी को चोरी करते हुए देखा था। ऐसी स्थिति में आरोपी को मानसिंह उर्फ पनकू को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-379 का अपराध किये जाने के तथ्य सन्देह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते। अतः आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-379 में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।



10— प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

11— प्रकरण में आरोपी दिनांक-12.10.2006 से दिनांक-17.10.2006 तक, दिनांक-10.07.2011 से दिनांक-20.07.2011, दिनांक-16.01.2016 से दिनांक-06.05.2016 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है। उक्त के संबंध में धारा-428 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पृथक से प्रमाणपत्र संलग्न किया जाये।

12— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक सोलर प्लेटें नंबर टी.बी.पी-1240 / 0.जेड. 116783 साई 84 गुणा 43 सेमी न्यायालय में जमा है, जो विधिवत् निराकरण हेतु वन विभाग को सौंपी जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित  
कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया  
गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

(श्रीष कौलाश शुक्ल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट

(श्रीष कौलाश शुक्ल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)